राजस्थान–सरकार
कार्यालय आयुक्त कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर
EMI Campus, J-8A, Institute Area, Jaipur 302004 (Rajasthan)
Phone 0141-2701184 Email- dseecom.raj@gmail.com

क्रमांक / डी.एस.ई.ई. / 2019 / 392 दिनांक 2.10.19

प्रधानाचार्य / अधीक्षक एवं सदस्य सचिव
आई.एम.सी. ऑफ आई.टी.आई.
राजकीय औद्योगिक संस्थान परिसर
समस्त 105 संस्थान

विषयः– केन्द्र सरकार की **Upgradation of 1396 Govt. ITI's through PPP** योजनान्तर्गत क्रमोन्नत औ.प्र.संस्थानो में गठित आईएमसी को सक्रिय करने के संबंध में

संदर्भः– 1. प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर का पत्रांक प्राशिनि / सीओई–पीपीपी / प्र4 / 1558(8) 2017 –18 / 63840–63944 दिनांक 27.08.2018 एवं 10353–395 दिनांक 22.01.2016

2. दिनांक 28.08.2019 को आयोजित **RCVET** की गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रस्तुत की गई राज्य की समस्त आईटीआई के कायाकल्प की योजना के क्रम में जारी प्रत्रांक 10528 दिनांक 23.09.2019 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि केन्द्र केन्द्र सरकार की **Upgradation of 1396 Govt. ITI's through PPP** योजनान्तर्गत क्रमोन्नत औ.प्र.संस्थानो में योजना के सफल संचालन के सम्बन्ध में डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन एवं समय–समय पर निदेशालय जारी विभिन्न पत्रों व परिपत्रों के क्रम में निदेशालय द्वारा समय–समय पर योजना की समीक्षा करने पर पाया गया कि अधिकांश संस्थानो द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित आई.डी.पी. के अनुसार विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में नही किये जा रहे है। अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में केन्द्र सरकार की **Upgradation of 1396 Govt. ITI's through PPP** योजना के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावें।

1. यदि आपके द्वारा आई.एम.सी. की बैठक पिछले तीन माह से नही की गई हो, आगामी एक सप्ताह में बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण की प्रति निदेशालय को प्रेषित की जावे यथा सम्भव आई.एम.सी. की बैठके संस्थान परिसर में ही आयोजित करावें एवं प्रत्येक तिमाही में आई.एम.सी. की बैठक करना सुनिश्चित करे।
2. प्रत्येक आई.एम.सी. की बैठक करने से पूर्व आई.एम.सी के प्रत्येक सदस्य से दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से बैठक की दिनांक को हरहालत में उपस्थित होने हेतु निवेदन करे ताकि आई.एम.सी. की बैठक प्रभावीं ढंग से सम्पन्न हो सके।
3. आगामी आई.एम.सी. की बैठक में पूर्व में आयोजित आई.एम.सी. की बैठक में लिये गये निर्णयों की समीक्षा भलीभांति हो और यह प्रयास किया जावे कि लिये गये निर्णयों की पालना निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जावे।
4. आई.एम.सी. की बैठक से पूर्व आई.एम.सी. के सभी सदस्यों को संस्थान की प्रत्येक कार्यशाला व कक्षाकक्ष व संस्थान परिसर आदि की **visit** करवाई जावे ताकि संस्थान की कमियाँ सामने आ सके व उनके सम्बन्ध में बैठक में सार्थक चर्चा हो सके।
5. योजनान्तर्गत नवीन व्यवसाय / एकको का एन.सी.वी.टी. सम्बन्धन की कार्यवाही प्राथमिकता से की जावे।
6. आई.एम.सी. की बैठक के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जावे कि योजनान्तर्गत समस्त कार्य योजना गाइड लाइन अनुसार ही हो। किसी भी परिस्थिति में वित्तीय सीमा का उल्लघंन न किया जावे।
7. आई.एम.सी. की बैठक के दौरान आई.एम.सी चैयरमैन से उनके **CSR Fund** से संस्थान के विकास में योगदान के बारे में निवेदन किया जावे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(डॉ0 समित शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर

क्रमांक/डी.एस.ई.ई./2019/393-396 दिनांक 07/10/2019

प्रतिलिपि : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान–जोधपुर।
2. उपनिदेशक, प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/ बीकानेर/ भरतपुर/उदयपुर को प्रेषित है।
3. अध्यक्ष आई.एम.सी. ऑफ आई.टी.आई........................द्वारा राजकीय औ.प्रं. सं. परिसर.......................
4. रक्षित पत्रावली सम्बन्धित संस्थान.....................................।

(डॉ0समित शर्मा)
आयुक्त

SPEED-POST

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर।

डब्ल्यू–6, रेजिडेन्सी रोड़, गौरव–पथ, जोधपुर–342001
Ph. 0291-2430290, 2432290 FAX-0291-2632329 Email: dte.raj.coe@gmail.com

क्रमांकः प्राशिनि / सीओई–पीपीपी / प्र–4 / 1558(8) / 2017–18 / 63840 – 63944 दिनांकः–27.8.2018

प्रधानाचार्य / अधीक्षक एवं सदस्य सचिव,
आईएम.सी. ऑफ आई.टी.आई.
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर,
समस्त 105 संस्थान।

विषयः– केन्द्र सरकार की Upgradation of 1396 Govt. ITI's through PPP योजना कियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्र सरकार की योजना के सफल संचालन हेतु पूर्व अनुमोदित आई.डी.पी. की अवधि पूर्ण होने पर डी.जी.टी. गाईड–लाईन अनुसार आई.डी.पी. को यथाशीघ्र Revise करवायी जावें।

संस्थान में केन्द्र सरकार की Upgradation of 1396 Govt. ITI's through PPP योजना के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावें।

1. पूर्व अनुमोदित आई.डी.पी. की अवधि पूर्ण होने पर डी.जी.टी. गाईड–लाईन अनुसार आई.डी.पी. को यथाशीघ्र **Revise** करवावें।
2. यदि आपके द्वारा आई.एम.सी. की बैठक पिछले तीन माह से आयोजित नहीं की गई हो तो, आगामी एक सप्ताह में बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण की प्रति निदेशालय को प्रेषित की जावें। यथा संभव आई.एम.सी. बैठकें संस्थान परिसर में ही आयोजित करवायें।
3. नवीन व्यवसाय / एककों के संचालन हेतु सर्व–प्रथम सिविल–कार्य यथा कार्यशाला तथा कक्षा–कक्ष का निर्माण करवाया जावें, तत्पश्चात औजार, मशीनरी एवं उपकरणों को कय किया जावें।
4. योजनान्तर्गत करवायें जाने वाले समस्त कार्य योजना गाईड–लाईन अनुसार, मितव्ययतापूर्वक, आई.डी.पी. में प्रत्येक Component हेतु निर्धारित प्रावधित राशि एवं वित्तिय सीमा के अन्तर्गत ही करवाये जावें। किसी भी परिस्थिति में वित्तिय सीमा का उल्लंघन न किया जावें।

अतः उक्त संबंध में आपकों निर्देशित किया जाता है गाईड–लाईन अनुसार आई.डी.पी. को यथाशीघ्र Revise कर तीन प्रतियों में यथा शीघ्र निदेशालय प्रेषित करावें जिससे आगामी राज्य परिचालन समिति की बैठक में अनुमोदन करवाया जा सके।

भवदीय

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण

कमांकः प्राशिनि / सीओई–पीपीपी / प्र–1 / 1558(8) / 2016–17 / अग्रलेख दिनांकः– 27.8.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अध्यक्ष, आई.एम.सी. ऑफ आई.टी.आई. .... द्वारा राजकीय औ. प्र. संस्थान परिसर, ...।

उपनिदेशक, प्रशिक्षण

SPEED-POST

राजस्थान–सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
W-6 गौरव–पथ, जोधपुर Ph. 0291-2432290, FAX 0291-2632339 Email-dtc.raj.coe@gmail.com

क्रमांक : प्राशिनि / सीओई / पीपीपी / रिव्यू बैठक(1942) / प्र–1 / 2015–16 / 10353-10 395 दिनांक: 22.1.2016
प्राचार्य / अधीक्षक एवं सचिव,
आई.एम.सी.ऑफ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त 105 संस्थान

विषय :– श्रीमान शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार कौशल एव उद्यमिता विभाग जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 15–16 सितम्बर ,2015 को केंन्द्रीय प्रवर्तित Up gradation of 1396 Govt. ITIs through PPP योजनान्तर्गत आयोजित समीक्षात्मक बैठक में प्रदत्त दिशा–निर्देशों की पालना / प्रगति के संबंध में।

संदर्भ :– निदेशालय के पत्रांक: प्राशिनि / सीओई / पीपीपी / रिव्यू बैठक(1942) / प्र–1 / 2015–16 / 13600–13811 दिनांक 15.10..2015,13896–14000 दिनांक 20.11.2015 एवं 14524–628 दिनांक 22.12.2015के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि श्रीमान शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार कौशल एव उद्यमिता विभाग जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 15–16 सितम्बर ,2015 को **राजस्थान आजीविका विकास निगम, जयपुर के सभागार** में केंन्द्रीय प्रवर्तित "Up gradation of 1396 Govt. ITIs through PPP" योजनान्तर्गत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें योजना के पूर्ण कियान्वयन एवं प्रगति अर्जित करने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये थें। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निदेशालय के पत्रांक 13600–13811 दिनांक 15.10.2015 एवं ई–मेल द्वारा भी आपको भिजवाया जा चुका हैं।

आपकी संस्थान की त्रैमासिक सूचना का अवलोकन करने पर आवंटित राशि के परिपेक्ष्य में 25% से कम राशि का उपयोग लिया गया हैं जिसे आयुक्त महोदय द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा हैं।

बैठक के पश्चात् चार माह से अधिक की अवधि व्यतित होने के उपरान्त भी योजनान्तर्गत आप द्वारा कोई उल्लेखनिय प्रगति नहीं की गई है। अतः शीध्रतिशीध्र योजना गाईड लाईन के अनुसार एवं आई.डी.पी.में आवंटित राशि का उपयोग कर प्रगति से निदेशालय को अवगत करावें।

भवदीय,

निदेशक(प्रशिक्षण)

क्रमांक : प्राशिनि / सीओई / पीपीपी / रिव्यू बैठक(1942) / प्र–1 / 2015–16 / 10396-402 दिनांक: 22.1.2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव श्रीमान आयुक्त, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता –सह–प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम, ईएमआई केम्पस, जे–8–ए झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर को सूचनार्थ।
2. उपनिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय...को भेजकर प्रेषित है कि आपके क्षेत्राधीन संस्थानों में योजना गाईड लाईन अनुसार वांछित प्रगति हेतु पाबन्द करावें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)